



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 141 वर्ष 2026

श्याम बहादुर तथा एक अन्य

..... याची(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य तथा 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार सिंह यादव, संजू यादव श्री कांत सिंह यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं0 2

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत कार्यवाहियों को लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23-02-2023 पर याचीगण के विरुद्ध आरंभ किया गया था। उक्त कार्यवाहियों में 08-02-2024 को प्रत्यर्थी सं0 3 - तहसीलदार (न्यायिक) - तहसील-जखनिया, जिला गाजीपुर द्वारा याचीगण के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। पूर्वोक्त से व्यपित याचीगण ने कानूनी अपील मामला सं0 483/2024 अधिमानित किया है जैसा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अन्तर्गत उपबंधित है जिसे 04-10-2024 को नामंजूर किया गया था अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।
2. अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-10-2024 के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि अपील दाखिल करने के पश्चात् अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याचीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था।
3. इस तथ्य को याचीगण के अधिवक्ता द्वारा भी स्वीकार किया गया है।
4. इस मामले को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय की राय है कि प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश दिनांक 04-10-2024 के विरुद्ध इस न्यायालय में आने के स्थान पर याचीगण को स्वयं प्रत्यर्थी सं0 2 के समक्ष रिकाल आवेदन दाखिल करना चाहिए।
5. इस मामले के दृष्टिगत, आदेशों में हस्तक्षेप के बिना, जिसे चुनौती दिया गया है, वर्तमान रिट याचिका को विलम्ब के माफी हेतु आवेदन के साथ प्रत्यर्थी सं0 2 के समक्ष रिकाल आवेदन दाखिल करने के लिए याचीगण को अनुमति देते हुए अंतिम रूप से निपटाया जाता है। यदि इस प्रकार का आवेदन आज से तीन सप्ताह के अन्दर दाखिल किया जाता है, प्रत्यर्थी सं0 2 को इसका विनिश्चय शीघ्रता से विधि के अनुसार करने का निदेश दिया जाता है।
6. चूँकि रिट याचिका का विनिश्चय प्रत्यर्थीगण से किसी जवाब की मांग किये बिना एकपक्षीय कथन पर किया गया है, इस प्रकार आज आदेश पारित का अर्थ उस शब्द प्रयोग के रूप में नहीं लगाया जा सकता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणावगुण की जाँच किया है तथा दूसरा प्रत्यर्थी विधि तथा लागू विधि के आदेशानुसार सर्वथा स्वतंत्र विचार देगा।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

जनवरी 27, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"